न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 273/2023

अनवान : –

1. गंगादेवी पुत्री खेताराम पत्नी महावीर जाति ब्राहमण ओझा निवासी जैतपुर तहसील व जिला बीकानेर।

– प्रार्थीया

बनाम्

1. खेताराम पुत्र रामकिशन जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
3. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 30/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 85/83 की कुल 8.4480 हैक्ट भूमि में से 269/384 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादग्रस्त भूमि पूर्व में सायला के पूर्वजों के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद के उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई तथा गैरसायल सं. 1 के हिस्से में रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 85/83 की कुल 8.4480 हैक्ट भूमि में से 269/384 हिस्सा भूमि आई। गैरसायल सं. 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायला का गैरसायल सं. 1 के साथ जन्म हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है। गैरसायल स0 1 के 2 पुत्रीया व 3 पुत्र हुए जिसमें से प्रतिवादी 3 रामदेव खोले चला गया एवं प्रतिवादी स0 4 भी खाले चला गया। इसलिए प्रतिवादी स0 3 व 4 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 85/83 की कुल 8.4480 हैक्ट भूमि में से 269/384 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में सायल व प्रतिवादी स0 1 ता 2 व 5 प्रत्येक 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काअप्रार्थी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज होने के कारण अप्रार्थी स0 1 उक्त भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करना चाहता है इसएिल अप्रार्थी स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 85/83 की कुल 8.4480 हैक्ट भूमि में से 269/384 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण स0 1 उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:07 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को तलब किया [illegible] जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की [illegible] पुत्र रावताराम जो [illegible]प्रार्थी स0 1 का पिता है के नाम दर्ज थी इनके देहांत के बाद उ[illegible] भूमि अप्रार्थी स0 1 [illegible]र्थी स0 1 की दो बहने केशर देवी व शांति के नाम दर्ज हुई। केशर देवी व शांति द्वारा अपने हक हिस्सा की दस्बरदारी अप्रार्थी स0 1 के पक्ष में की गई अत प्रार्थीया केशर देवी व शांति से जो हक हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

अप्रार्थी के नाम दर्ज हुआ है उसमें से हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको की घोषणा एवं खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 85/83 की कुल 8.4480 हैक्ट भूमि में से 269/384 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में सायला के पूर्वजों के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद के उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई तथा गैरसायल सं. 1 के हिस्से में रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 85/83 की कुल 8.4480 हैक्ट भूमि में से 269/384 हिस्सा भूमि आई। गैरसायल सं. 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायला का गैरसायल सं. 1 के साथ जन्म हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है। गैरसायल स0 1 के 2 पुत्रीया व 3 पुत्र हुए जिसमें से प्रतिवादी 3 रामदेव खोले चला गया एवं प्रतिवादी स0 4 भी खाले चला गया। इसलिए प्रतिवादी स0 3 व 4 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 85/83 की कुल 8.4480 हैक्ट भूमि में से 269/384 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में सायल व प्रतिवादी स0 1 ता 2 व 5 प्रत्येक 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काअप्रार्थी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज होने के कारण अप्रार्थी स0 1 उक्त भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करना चाहता है इसएिल अप्रार्थी स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि राधाकृष्ण पुत्र रावताराम जो की अप्रार्थी स0 1 का पिता है के नाम दर्ज थी इनके देहांत के बाद उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 व अप्रार्थी स0 1 की दो बहने केशर देवी व शांति के नाम दर्ज हुई। केशर देवी व शांति द्वारा अपने हक हिस्सा की दस्बरदारी अप्रार्थी स0 1 के पक्ष में की गई अत प्रार्थीया केशर देवी व शांति से जो हक हिस्सा अप्रार्थी के नाम दर्ज हुआ है उसमें से हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अत अस्थाई निषेधज्ञा खारिज की जावे।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्बरदारी की चित्रप्रति के मुताबिक केशर देवी व शान्ति जो की अप्रार्थी स0 1 की बहिन है के द्वारा अपना हक हिस्सा की दस्तबरदारी अप्रार्थी स0 1 के पक्ष में गई है अत अप्रार्थी स0 1 [illegible] पिता द्वारा प्राप्त भूमि हेतु पाबंद किया जाना उचित है जबकि जो भूमि [illegible] जरिये दस्बरदारी प्राप्त हुई है उसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया न्योचिता नही है। अतः उपरोक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:07 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्राथी के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्राथी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 85/83 की कुल 8.4480 हैक्ट भूमि में से 269/384 में से 1.97266 हैक्ट भूमि में से प्रार्थीया के हिस्सा की भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 30/03/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:07 IST
Reason: SelfAttested